राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–फ. 5(1)गृह–1/2021 (08940) पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

<u>आदेश</u>

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, पुलिस निरीक्षक, जिला झुन्झुनू के विरूद्व एसीबी प्रकरण संख्या 240/2019 माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति अभिशंषा को सील्ड कवर में रखा गया।

माननीय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, बीकानेर ने प्रकरण संख्या 04/2020 (एफआईआर नं. 240/2019) राजस्थान राज्य बनाम हरजिन्द्र सिंह में पारित निर्णय दिनांक 29–01–2025 के द्वारा अभियुक्त हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना रतनगढ़, जिला चुरू को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के आरोप में दोषमुक्त किया गया है। उक्त निर्णय दिनांक 29–01–2025 के विरूद्व विधि विभाग द्वारा पत्र दिनांक 06–10–2025 द्वारा अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री हरजिन्द्र सिंह की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री हरजिन्द्र सिंह को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021–22 में रिक्ति दिनांक 01.04.2021 के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री सिंह की वरिष्ठता श्री पन्ना लाल जांगिड़/मोहन लाल (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री हरजिन्द्र सिंह, आरपीएस अग्रिम आदेशो तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इनको रिक्ति दिनांक 01.04.2021 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324, e-mail home.police@rajasthan.gov.in

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date :12-01-2026 06:18:03

RajKaj Ref No.: 19866159
eSign DSC